56

संख्याः– 6016 / III(2)/15–14(सामान्य)/2013

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 31 जुलाई, 2015

**विषय–राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के दौरान निर्धारित चौड़ाई से अधिक क्षतिग्रस्तता होने की दशा में राज्य स्तर पर प्रतिकर/मुआवजा दिये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण कार्यों की स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप 02 लेन चौड़ीकरण हेतु 20 मी. से 24 मी. तक भूमि अधिग्रहित की जाती है तथा इस अधिग्रहित भूमि में अवस्थित वन भूमि, नाप भूमि, पेड़ एवं भवनों के प्रतिकर की धनराशि का वहन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

2– पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मार्ग चौड़ीकरण हेतु पहाड़ कटान के पश्चात अधिग्रहित भूमि के अतिरिक्त पहाड़ साइड की भूमि वर्षाकाल में अस्थिर हो जाती है तथा स्थायित्व प्राप्त होने तक भूस्खलन जारी रहता है। फलस्वरूप स्थानीय निवासियों की नाप भूमि एवं भवन इत्यादि क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है तथा प्रभावित भूस्वामियों द्वारा प्रतिकर की मांग की जाती है। चूंकि भारत सरकार द्वारा मार्ग चौड़ीकरण हेतु निर्धारित सीमा से बाहर की भूमि के सापेक्ष प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाता है, इस कारण प्रभावित कास्तकारों को प्रतिकर भुगतान के संबंध में विभाग के समक्ष परिस्थितिजन्य रूप से कठिनाई उत्पन्न होती है।

3– उपर्युक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से बाहर की भूमि/भवन आदि में पहाड़ कटान/भूस्खलन के कारण हुई क्षति के सापेक्ष प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की अनुमति मा0 श्री राज्यपाल निम्नांकित प्रकिया/शर्तों के अनुसार प्रदान करते हैं :–

(1) अधिग्रहित भूमि (Right of way) के बाहर पहाड़ कटान/भूस्खलन से हुई क्षति का आंकलन/सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

(2) आंकलित क्षति के सापेक्ष मुआवजा भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित भूमि/परिसम्पत्ति पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व होगा तथा सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वे इस भूमि/परिसम्पति को राजस्व अभिलेखों में लोक निर्माण विभाग के नाम विधिवत दर्ज कराने की कार्यवाही समयान्तर्गत करेंगे।

(3) यदि क्षतिग्रस्त भूमि/परिसम्पति के अधिग्रहण हेतु भूस्वामी की सहमति न हो, तो आंकलित क्षति की मरम्मत एवं पूर्व दशा में लाने हेतु दबान का भुगतान किया जाय। परन्तु यह किसी भी दशा में भूमि/परिसम्पति की लागत से अधिक नहीं होगा।

(4) प्रतिकर की धनराशि का आंकलन/गणना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया/दरों के अनुसार की जायेगी।

.....2/–

(5) मार्ग चौड़ीकरण हेतु उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड का चिन्हांकन पूर्व मे कर लिया जाय एवं चिन्हित स्थल पर ही मलवे का निस्तारण किया जाय, जिससे मार्ग के खड्ड साइड में होने वाली क्षतियों को न्यूनतम किया जा सके।

(6) विस्तृत आगणन में स्लोप प्रोटेक्शन का प्राविधान स्थल की आवश्यकतानुसार रखा जाय एवं उतनी ही लम्बाई में पहाड़ कटान कार्य प्रारम्भ किया जाय, जिस लम्बाई में सुरक्षात्मक कार्य आगामी वर्षाकाल से पूर्व किया जा सके।

(7) यदि डम्पिंग यार्ड (Dumping Yard) में मलवा ले जाना सम्भव न हो, तो खड्ड साईड में जो सम्पत्ति क्षतिग्रस्त होने से नहीं बचाई जा सकती है, उसकी वीडियो ग्राफी (Video Graphy) आवश्यकीय रूप से की जाय, ताकि क्षतिग्रस्त भूमि/परिसम्पति के मूल्यांकन में कोई विवाद उत्पन्न न हो।

(7) क्षतिग्रस्त भूमि/परिसम्पति के सापेक्ष आंकलित मुआवजे के सापेक्ष व्यय विभागीय अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24-वृहत्त निर्माण कार्य की मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था में से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

**4- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-61/XXVII/(2)/2015, दिनांक 25 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

/

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-6016/III(2)/15-14(सामान्य)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ले० व ह०), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. लोक निर्माण अनुभाग-1/3, एवं वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव।